नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 9-41/2013/ज.नि./42.-छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास के अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) की धारा 27 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाये गये निम्नलिखित विनियम एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (राज्य कौशल विकास निधि) विनियम, 2014

1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा प्रारंभ

1.1 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (राज्य कौशल विकास निधि) विनियम, 2014 कहलायेंगे।

1.2 ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

1.3 राज्य कौशल विकास निधि, जिसे इसमें इसके पश्चात् निधि निादष्ट किया गया है, के संचालन एवं संधारण की रीति ऐसी होगी जैसी इन विनियमों में उपबन्धित है।

2. राज्य कौशल विकास निधि

2.1 छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013), (जिसे यहां इसके आगे "अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 18 में विनिर्दिष्ट स्त्रोतों से निधि हेतु प्राप्त धनराशियां भारतीय रिजर्व बैंक, 1934 (क्रमांक 2 सन् 1934) की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किसी भी बैंक में खोले गये एक या अधिक खातों में जमा की जायेगी :

परन्तु यह कि इन विनियमों में कोई भी बात छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण निर्दिष्ट किया गया है, को ऐसी जमा की गई धनराशियों को बचत या निवेश के लिए किसी वित्तीय उपकरण में राज्य सरकार के वित्त विभाग की पूर्व सहमति से विनियोजित करने से निवारित नहीं करेगी :

परन्तु यह और कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऐसी अधिकतम राशि जैसी कार्यकारिणी समिति प्राधिकृत करे की सीमा तक नगद में एक अग्रदाय खाते का संधारण कारित कर सकेगा, जिसका संधारण एवं संचालन राज्य सरकार में अग्रदाय खातों को शासित करने वाले उपबन्धों के अनुरूप, ऐसे उपातंरणों सहित जैसे कार्यकारिणी समिति समुचित माने और अनुमोदित करे, किया जायेगा।

2.2 ऊपर विनियम 2.1 में यथा उपबन्धित कोई खाता मुख्य कार्यपालन अधिकारी और प्राधिकरण के ऐसे अन्य कर्मचारी जैसा कार्यकारिणी समिति नियत करे द्वारा संयुक्ततः किया जायेगा :

परन्तु यह के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुशंसा पर कार्यकारिणी समिति ऐसे संयुक्त खाते को संचालित करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी के स्थान पर प्राधिकरण के किसी अन्य कर्मचारी को प्राधिकृत कर सकेगी :

परन्तु यह और कि इस प्रकार प्राधिकृत कोई कर्मचारी ऐसे खाते का संचालन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निदेशों के अधीन करेगा।

2.3 प्राधिकरण के लेखाओं का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन सम्मिलित होंगे, संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के पहले तैयार और अनुमोदित किया जायेगा :

परंतु यह कि, इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहां शासी परिषद् संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति निर्मित हुई है जिसमें ऐसा करने की आवश्यकता है, शासी परिषद् को किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में लेखाओं के वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुमोदन के लिए अधिनियम के अधीन विहित प्रक्रिया पूर्ण होने तक निधि से अग्रिम आहरण प्राधिकृत करने की शक्ति होगी।

2.4 निधि से भुगतान धनराशि की उपलब्धता और लेखाओं के वार्षिक वित्तीय-विवरण में प्रावधान अथवा ऊपर विनियम 2.3 के परंतुक के अधीन प्राधिकार, के अध्यधीन होंगे, और व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुरूप किये जाएंगे :

परन्तु यह कि, लेखाओं के वार्षिक वित्तीय-विवरण में पर्याप्त प्रावधान का अभाव होते हुए भी, जहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी की राय में अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के हित में किसी व्यय को स्वीकृत करने के लिए तत्काल निर्णय लिया जाने की स्थिति निर्मित हो गई है, वह इसके लिए स्वीकृति की अनुशंसा कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष को कर सकेगा, और अध्यक्ष, यदि संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को व्यय स्वीकृत करने के लिए और ऐसी स्वीकृति को अनुसमर्थन और लेखाओं के वार्षिक वित्तीय विवरण में उपयुक्त प्रावधान करने के लिए कार्यकारिणी समिति और, तत्पश्चात्, शासी परिषद् के समक्ष उनकी अगली बैठकों में रखने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

2.5 जहां किसी कारण उपगत किया जाने वाला कुल व्यय रुपये पच्चीस लाख से अनधिक है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी उसे स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

2.6 जहां किसी कारण उपगत किया जाने वाला कुल व्यय रुपये पच्चीस लाख से अधिक है, कार्यकारिणी समिति उसे स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगी :

परन्तु यह कि जहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी की राय में अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के हित में किसी व्यय को स्वीकृत करने के लिए तत्काल निर्णय लिया जाने की स्थिति निर्मित हो गई है, वह इसके लिए स्वीकृति की अनुशंसा कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष को कर सकेगा, और अध्यक्ष, यदि संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को व्यय स्वीकृत करने के लिए और ऐसी स्वीकृति को अनुसमर्थन के लिए कार्यकारिणी समिति के समक्ष उसकी अगली बैठक में रखने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

Naya Raipur, the 8th August 2014

NOTIFICATION

No. F. 9-41/2013/MPP/42.— The following Regulations made by the Chhattisgarh State Skill Development Authority, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 18 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), are hereby published for information of the public.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMRITA BECK, Deputy Secretary.

Chhattisgarh State Skill Development Authority (State Skill Development Fund) Regulations, 2014

1. Short title, application and commencement

1.1 These Regulations may be called Chhattisgarh State Skill Development Authority (State Skill Development Fund) Regulations, 2014.

1.2 These shall take effect from the date of their publication in the Official Gazette.

1.3 The manner of maintenance and operation of the State Skill Development Fund, hereinafter referred to as the Fund, shall be as provided in these Regulations.

2. State Skill Development Fund

2.1 The moneys received for the Fund from the sources specified in section 18 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), hereinafter referred to as the Act, shall be credited to one or more accounts opened in any of the banks included in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934 (No. 2 of 1934):

Provided that nothing in these Regulations shall prevent the Chhattisgarh State Skill Development Authority, hereinafter referred to as the Authority, from deploying such credited moneys in any financial instrument for saving or investment with the prior concurrence of the State Government in the Finance Department:

Provided further that the Chief Executive Officer may cause to be maintained an imprest account in cash of up to such maximum amount as the Executive Committee may authorise, which shall be maintained and operated in accordance with the provisions governing imprest accounts in the State Government, with such modifications as may be deemed appropriate and approved by the Executive Committee.

2.2 Any account as provided for in Regulation 2.1 above shall be operated jointly by the Chief Executive Officer and such other employee of the Authority as the Executive Committee may appoint:

Provided that the Executive Committee may, on the recommendation of the Chief Executive Officer, authorise any other employee of the Authority to operate such joint account in place of the Chief Executive Officer:

Provided further that any employee so authorised shall operate such account under the directions of the Chief Executive Officer.

2.3 The Annual Financial Statement of Accounts of the Authority, which shall include the annual financial estimates of the Authority for the financial

year, shall be prepared and approved before commencement of the corresponding financial year:

Provided that, notwithstanding anything in these Regulations, the Governing Council shall have the power to authorise appropriation from the Fund in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed under the Act for approval of the Annual Financial Statement of Accounts, where it is satisfied that the situation so demands.

2.4 Payments from the Fund shall be subject to the availability of funds and provision in the Annual Financial Statement of Accounts or authorisation under the proviso to Regulation 2.3 above, and shall be made as per sanction accorded for expenditure by the authority competent to do so:

Provided that, notwithstanding absence of adequate provision in the Annual Financial Statement of Accounts, where in the opinion of the Chief Executive Officer the situation demands that immediate decision be taken on sanctioning any expenditure in the interest of carrying out the purposes of the Act, he may recommend sanction therefor to the Chairperson of the Executive Committee, and the Chairperson, if satisfied that the situation so demands, may authorise the Chief Executive Officer to sanction the expenditure and to lay such sanction for ratification and making suitable provision and modification in the Annual Financial Statement of Accounts before the Executive Committee and, thereafter, the Governing Council at their next meetings.

2.5 In case the total expenditure to be incurred on any account is not in excess of Rupees twenty-five lakhs, the Chief Executive Officer shall be the authority competent to sanction the same.

2.6 In case the total expenditure to be incurred on any account exceeds Rupees twenty-five lakhs, the Executive Committee shall be the authority competent to sanction the same:

Provided that where in the opinion of the Chief Executive Officer the situation demands that immediate decision be taken on sanctioning any such expenditure in the interest of carrying out the purposes of the Act, he may recommend sanction therefor to the Chairperson of the Executive Committee, and the Chairperson, if satisfied that the situation so demands, may authorise the Chief Executive Officer to sanction the expenditure and to lay such sanction for ratification before the Executive Committee at its next meeting.